

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/

675

दिनांक

12/05/25

अनुवान :-

प्रार्थी	वनाम	विप्रार्थीगण
भोमाराम वगैरा	वनाम	शेराराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 32/2023

दिनांक : 12.05.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र वाछडाऊ के मौजा ऐरोवाला के खेत खसरा सं. 17 रकबा: 04.9129 हैक्टर एवं मौजा सोडियार के खेत खसरा सं. 81 रकबा: 28.1661 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हो, प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 676 to 679

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी भोमाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण शेराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/वीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक

12/05/25



(कुसुमलता चौहान)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

चौहटन